

राजस्थान सरकार  
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक प. 6(4)शिक्षा/ग्रुप-3/2020

जयपुर, दिनांक 02/09/2020

-: आदेश :-

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18.08.2020 द्वारा टपूकड़ा जिला अलवर में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।

उक्त राजकीय कन्या महाविद्यालय, टपूकड़ा (जिला अलवर) में कला संकाय में (दो वर्गों सहित) दो अनिवार्य विषयों व पाँच वैकल्पिक विषयों कुल सात विषयों की अनुमति निम्नानुसार एतद द्वारा प्रदान की जाती है :-

अनिवार्य विषय	1. हिन्दी
	2. अंग्रेजी
वैकल्पिक विषय	3. हिन्दी साहित्य
	4. गृह विज्ञान
	5. राजनीति विज्ञान
	6. भूगोल
	7. इतिहास

यह अनुमति माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग कार्यालय की आई.डी. संख्या रा. मं./उ.शि./2020/810 दिनांक 02.09.2020 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. मोहम्मद नईम)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
3. निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा निदेशक, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा निदेशक, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 20 (101/ )/आयो/आकाशि/2020-21/ 371-87 दिनांक 7 सितम्बर, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 महालेखाकार लेखा एवं हक राजस्थान, जयपुर।
- 2 संयुक्त शासन, सचिव माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान जयपुर।
- 3 निजी सचिव माननीय मंत्री उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
- 4 निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 5 निजी आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- 6 संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 7 संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 8 संयुक्त शासन सचिव आयोजना (जनशक्ति) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 9 संयुक्त सचिव (युप-4) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 10 कुल सचिव, राजर्षि भर्तृहरि विश्वविद्यालय, अलवर।
- 11 वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- 12 संयुक्त निदेशक, (एच आर डी/प्रशासन) कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर पदस्थापन करने का श्रम करे।
- 13 संयुक्त निदेशक, अकादमी, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर, को भेजकर लेख है कि महाविद्यालय में प्रवेश प्रारम्भ करना सुनिश्चित करे।
- 14 प्राचार्य / नोडल अधिकारकरी, राजकीय कन्या महाविद्यालय, टपूकडा।
- 15 वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज० जयपुर।
- 16 रक्षित पत्रावली।

7/9/2020  
संयुक्त निदेशक (आयोजना)